

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :- प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :- 72/16

1. माया पुत्री राजूराम जाति जाट जरिये कुदरतीवली माता सावित्री पत्नी राजूराम निवासी चक 30 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. भजनलाल पुत्र राजूराम जाति जाट जरिये कुदरतीवली माता सावित्री पत्नी राजूराम निवासी चक 30 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....वादीगण

बनाम

3. हंसराज पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी चक 30 के.वाई.डी. त. खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. राजूराम पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी चक 30 के.वाई.डी. त. खाजूवाला जिला बीकानेर।
5. राजस्थान सरकार जरिए राजस्व तहसीलदार, खाजूवाला।

.....प्रतिवादीगण

राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.एक्ट

—: निर्णय :-

दिनांक :-

अदालत का फैसला है कि पिता राजूराम के जीवित होते हुए, नानी काहनी देवी को राजूराम के बच्चों — माया व भजनलाल की प्राकृतिक / कुदरती संरक्षिका नहीं माना जा सकता, जब तक की सक्षम अदालत इस संबंध में आदेश जारी न करें।
इसलिए यह infurctuous हो चुका है, अतः वाद को धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए खारिज किया जाता है।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

